कार्यालय पुलिस अधीक्षक गाजीपुर।

पत्र संख्याःन– /2020 दिनांकःदिसम्बर25 2020।

अल्पकालीन निविदा सूचना

पुलिस लाईन गाजीपुर मे स्थित 03 प्राइवेट दूकाने संचलित है, जिन्हे प्राइवेट दुकानदारों द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका 01 वर्ष के लिये निविदा आमंत्रित की जाती है जिनका विवरण निम्नवत् है:–

क0सं0	दुकान	संख्या	निविदा फार्म शुल्क	अर्नेष्ट मनी
1	2	3	4	5
1	चाय मिठाई, दूध, अण्डा, स्नैक्स इत्यादि जलपान सामग्री।	दुकान–01	रू0 100/–	रू0 5000/–
2	जनरल स्टोर एवं वर्दी वस्तुयें	दुकान–01	रू0 100/–	रू0 5000/–
3	फल एवं जूस की दुकान	दुकान–01	रू0 100/–	रू0 5000/–

नियम व शर्ते–

1–निविदा हेतु वॉछित अर्नेष्ट मनी नगद अथवा बैन्क ड्राफ्ट पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के पक्ष मे देय होगा। बिना अर्नेष्ट मनी के निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

2–निविदा दाता फर्मो द्वारा रूपये 10/– के स्टाम्प पेपर पर इस बात का सपथ पत्र दिया जायेगा कि उन्हे किसी संस्था द्वारा काली सूची मे नही डाला गया है।

3–उपरोक्त कार्य हेतु टेण्डर फार्म रूपये 100/– जमा करके दिनांक–26-12-20 से दिनांक–29-12-20 तक प्राप्त किया जा सकता है।

4–आपूर्ति किये जा रहे उपरोक्त संसाधन की तकनीकी विशिष्टियॉ मानक के अनुरूप होना अनिवार्य हेागा।

5–जिस निविदा दाता/फर्म की निविदा स्वीकार किया जायेगा उसे 03 दिवस के अन्दर आपूर्ति किया जाना अनिवार्य होगा तथा निविदा हेतु दी गयी धनराशि 10 प्रतिशत सिक्योरिटी मनी नगद/बैन्क ड्राफ्ट जमानत धनराशि के रूप मे तत्काल 100 रूपये के अनुबन्ध पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

6–अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी फर्म द्वारा डाली गयी निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा किसी भी प्रकार की सशर्त निविदा स्वीकार नही होगा। उपरोक्त संसाधनों की संख्या अधोहस्ताक्षरी द्वारा घटायी/बढ़ायी जा सकती है।

7–उपरोक्त संसाधनों संतोषजनक आपूर्ति सुनिश्चित हो जाने के पश्चात नियमानुसार देय करों आदि की कटिंग करके ही भुगतान किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति मे न्याय क्षेत्र जनपद गाजीपुर होगा।

8–निविदा का मूल्यांकन मूल्य/अधिष्ठापन मूल्य किया जायेगा व उपरोक्त संसाधनों की सम्पूर्ति हेतु परिवहन का ब्यय निविदाकर्ता को स्वयं करना होगा।

9–निविदाकर्ता उत्पादन की सामग्रियों की तकनीकी विशिष्टियों को पूर्ण अभिलेख निविदा के साथ प्रस्तुत करेगा।

10–निविदा दाता को अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11–भूमि पर पूर्ण अधिकार पुलिस विभाग का होगा।

12–निविदा प्रपत्र संम्बन्धित आवश्यक दिनांक निम्नवत् है–

क–निविदा फर्म बिक्री की अंतिम तिथि........29-12-20........

ख–निविदा दिये जाने की तिथि........[illegible]........

ग–तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि........[illegible]-12-20........

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–जिलाधिकारी गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

2–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक वाराणसी, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, मीरजापुर, चन्दौली, भदोही, मऊ।

3–समस्त क्षेत्राधिकारी गाजीपुर।

4–जिला सूचना अधिकारी जनपद गाजीपुर को प्रचार प्रसार हेतु।

5–प्रभारी सीसीटीएनएस0 को पुलिस बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।